# <u>न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०)</u> (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुडोपा)

<u>दांडिक0प्रक0क0-1362/07</u> <u>संस्थापित0दि0 11/12/07</u> फाईल0नं.233504000092008

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

----अभियोजन

#### —: विरुद्ध :—

- 1. सगन पिता मांजू, उम्र 34 वर्ष,
- 2. मैंगोबाई पति मांजू, 59 वर्ष, दोनों:—जाति गोंड, नि0 हमलापुर, बैतूल, जिला बैतूल (म0प्र0)
- 3. झुल्लीबाई उर्फ इन्द्राबाई पति मोहन उईके, उम्र 37 वर्ष, नि0 हमलापुर, जिला बैतूल(म०प्र0)(फरार)

---- <u>अभियुक्तगण</u>

# <u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक—06 / 10 / 2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा 325, 34 के तहत् अभियोग है कि दिनांक 11/11/07 को शाम करीब 4:00 बजे आरक्षी केन्द्र आमला, जिला बैतूल के फरियादी के घर के सामने रतेडा में सह अभियुक्तगण सगन, मंगोबाई, झुल्लीबाई के साथ मिलकर फरियादी कल्लोबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी अग्रसरता में आपने एवं सह अभियुक्तगण ने फरियादी कल्लोबाई की लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।
- 2— अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया कल्लोबाई ने जबानी रिपोर्ट किया कि आज शाम चार बजे की बात है उसकी बडी सास मंगोबाई से उसका घरेलु बात को लेकर आपस में झगड़ा हो रहा था कि इतने में बड़ी सास के दो लड़के सगनू तथा झुल्ली दोनों ने मिलकर उसके साथ लकड़ी से मारपीट किया जो उसके दोनों हाथ की कलाई, पन्जा, भुजा तथा दोनों पैर की जांघ, पिंडली पर छाती में चोट आकर सूजन आई है, दर्द हो रहा है। झगड़ा का बीच बचाव मारपीट करते ननद लाली, मोहल्ले के किसन, कान्ती, सुकिला ने देखा है। मेडिकल मुलाहिजा करने के पश्चात् एक्सरे कराया गया एक्सरे रिपोर्ट में फेक्चर पाए जाने से धारा 325, 34 भा0द0वि0 की अपराध पंजीबद्ध किया गया।
- 3— रोजनामचा सान्हा के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार किया गया। जिसके आधार पर अप०कं0—453/07 कायम कर अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०दं०वि० धारा—325,34 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 05/12/07

को नक्शा मौका तैयार किया गया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। दिनांक 05/12/07 एवं दिनांक 06/12/07 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 03, प्र0पी0 4 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वे निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने अभियुक्त कथन के दौरान प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

# -: न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

5-

1—''क्या दिनांक 11/11/07 को शाम करीब 4:00बजे आरक्षी केन्द्र आमला, जिला बैतूल के फरियादी के घर के सामने रतेडा में सह अभियुक्तगण सगन, मंगोबाई, झुल्लीबाई के साथ मिलकर फरियादी कल्लोबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी अग्रसरता में आपने एवं सह अभियुक्तगण ने फरियादी कल्लोबाई की लकडी से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

# —ः <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>ः— विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

- 6— अभियोजन साक्षी डॉ० बी०पी० चौरिया (अ०सा०४) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 11/11/07 को सी०एच०सी० आमला में पदस्थ था। उसने कल्लोबाई पित रोशनलाल गोंड, उम्र 30 वर्ष, निवासी रतेडा का चोटों का परीक्षण किया था। चोट कं. 1 सूजन दायें हाथ एवं कलाई के उपर की तरफ चोट, नं० 2 फटा हुआ घाव 1 से०मी० गुणा 2 से०मी० दांहिने कलाई के उपर की तरफ, चोट कं. 3 सूजन 2 इंच गुणा 2 इंच छाती के. दांहिने तरफ, चोट कं. 4 सूजन 3 इंच गुणित 3 चौथाई इचं बॉये जांघ के बाहरी तरफ, चोट कं० 6 सूजन 2 इंच गुणित 2 इंच बांयी जांघ के बाहरी तरफ, चोट कं० 6 सूजन 3 इंच गुणित 4 इंच दांहिने जांघ के बाहरी तरफ, चोट कं० 7 सूजन 4 इंच गुणित 2 तिहाई बॉयी स्केफुला पर था। आगे इस गवाह ने अपने अभिमत में बताया है कि सभी चोटें उसके परीक्षण के 6 घंटे के भीतर कडी एवं बोथरी वस्तु द्वारा आई है उसके द्वारा दी गई एम०एल०सी० रिपोर्ट प्र०पी० 7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह के द्वारा आहत कल्लोबाई के शरीर में पाई गई चोट को अपनी साक्ष्य से स्पष्ट रूप से बताया है। उक्त चोट आने के तथ्य को बचाव पक्ष की ओर से प्रश्नगत् नहीं किया गया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक को आहत कल्लोबाई के शरीर पर चोटें थी।
- 7— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय है कि क्या घटना दिनांक को अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत कल्लोबाई को मारपीट करघोर उपहति कारित की गई।
- 8— अभियोजन साक्षी लताबाई (अ०सा०1), अभियोजन साक्षी ममताबाई (अ०सा०2), अभियोजन साक्षी प्रेमलाल (अ०सा०3), अभियोजन साक्षी जगन (अ०सा०5) की साक्ष्य न्यायालय में पेश की गई। किन्तु उक्त गवाहों ने अपनी साक्ष्य की मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है। साथ

ही महत्वपूर्ण साक्षी फरियादी कल्लोबाई जो कि अदम पता हो चुकी है जबकि वह उक्त साक्षी आहत है और वह गवाह ही घटना घटित होने के तथ्यों को स्पष्ट कर सकती थी कि किस अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में चोट कारित कर घोर उपहति कारित की।

- 9— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि सह अभियुक्तगण सगन, मंगोबाई, झुल्लीबाई के साथ मिलकर फरियादी कल्लोबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी अग्रसरता में आपने एवं सह अभियुक्तगण ने फरियादी कल्लोबाई की लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कृं0 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।
- 10— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि सह अभियुक्तगण सगन, मंगोबाई, झुल्लीबाई के साथ मिलकर फरियादी कल्लोबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी अग्रसरता में आपने एवं सह अभियुक्तगण ने फरियादी कल्लोबाई की लकडी से मारपीट कर स्वेच्छयाघोर उपहित कारित की। इस प्रकार भादं०वि० की धारा—325,34 का आरोप प्रमाणित न पाये जाने से उक्त अपराध में अभियुक्तगण सगन, मैंगोबाई को दोषमुक्त किया जाता है।
- 11— प्रकरण में धारा 313 द0प्र0सं० के पूर्व प्रस्तुत आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते है एवं अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
- 12— प्रकरण में आरोपी झुल्लीबाई उर्फ इन्द्राबाई फरार है। अतः प्रकरण के टाईटल पेज पर लाल स्याही से आरोपी झुल्लीबाई उर्फ इन्द्राबाई फरार है प्रकरण नष्ट न किया जावे की टीप अंकित की जावे।
- 13— प्रकरण में जप्त शदुा सम्पत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रकरण में अभियुक्त झुल्लीबाई उर्फ इन्द्राबाई फरार है।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0 (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0